



CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

(A Statutory body of Ministry of Women & Child Development)

West Block –VIII, Wing No- II, 2nd Floor, R.K Puram ,New Delhi -110066

Tele No.- 011-26105346, Fax No.- 011-261808198; E-mail: carahdesk.wcd@nic.in

File No. 87-1/2018-CARA

Date: 11.06.2018

OFFICE MEMORANDUM

SUB: Promotion of Digital Transaction

I am directed to convey to all Specialised Adoption Agencies to make all payments / receipts (like collection of adoption fees from the Prospective Adoptive Parents as per Regulation 46 of the Adoption Regulations, 2017 application fees for RTI etc.) only through digital transaction mode from the month of July, 2018 onwards. Such digital transaction mode may include any of the following:

- i. RBI Digital Payment modes – Mobile banking, Internet banking
- ii. NPCI Digital Payment modes – BHIM, BHIM Aadhaar, IMPS, NACH, USSD, AePS
- iii. Banks Digital Payment modes – Mobile banking, Internet banking.

2. It may be noted that Cheque/Demand Draft are not considered as digital payment.

S K Gupta
11/6/18

(S K Gupta)

Accounts Officer, CARA

To

All Specialised Adoption Agencies

Copy to:

1. Director of the Department Concerned (Member Secretary of SARA)
2. Programme Manager, SARA of the all States/UTs.
3. PS to Member Secretary & CEO, CARA
4. PA to Joint Director, CARA
5. Deputy Director, CARA
6. Assistant CARA, CARA
7. Administrative Officer, CARA



CARA

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
वेस्ट ब्लॉक-8ए, विंग-2ए, द्वितीय मंजिल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
दूरभाष न.- 011-26105346 फैक्स न.- 011-261808198
ईमेल- carahdesk.wcd@nic.in

संख्या 87-1/2018-कारा

दिनांक: 11.06.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: डिजिटल लेनदेन का बढ़ावा।

मैं सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों को यह सूचित करने के लिए निर्देशित हूँ कि जुलाई, 2018 से सभी भुगतान/प्राप्तियां (जैसे दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 46 के अनुसार भावी दत्तक माता-पिता से दत्तक ग्रहण शुल्क की प्राप्ति, आरटीआई हेतु आवेदन शुल्क आदि) डिजिटल लेनदेन के जरिए करें। ऐसे डिजिटल लेनदेन के माध्यम में निम्नलिखित माध्यम शामिल है-

- i. आरबीआई डिजिटल भुगतान के प्रकार: मोबाईल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग
- ii. एनपीसीआई डिजिटल भुगतान के प्रकार: बीएचआईएम, बीएचआईएम आधार, आईएमपीएस, एनएसीएच, यूएसएसडी, ईपीएस
- iii. बैंक डिजिटल भुगतान के प्रकार : मोबाईल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग

यह ध्यान दिया जा सकता है कि चेक/ डिमांड ड्राफ्ट को डिजिटल भुगतान के रूप में नहीं माना जाता है।

सु. गुप्ता
11/6/18
(एस. के. गुप्ता)

लेखा अधिकारी, कारा

सेवा में,

सभी विशेष दत्तक-ग्रहण अभिकरणों हेतू

प्रति:

- 1) संबंधित विभाग के निदेशक (सदस्य सचिव, सारा)
- 2) कार्यक्रम प्रबंधक, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सारा
- 3) सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा के निजी सचिव
- 4) संयुक्त निदेशक, कारा के निजी सहायक,
- 5) उप सचिव, कारा
- 6) सहायक कारा, कारा
- 7) प्रशासनिक अधिकारी, कारा